



अपने सपनों का घर खरीदने का इससे अच्छा अवसर फिर नहीं!

इच्छुक आवेदक कृपया ध्यान दें!

पूरी दिल्ली में
लगभग 16,000 फ्लैट
उपलब्ध



जल्दी करें

24-12-2010

को
स्कीम बन्द



दिल्ली विकास प्राधिकरण
बेहतर कल की बुनियाद

आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना

- आवेदक विवरण पुस्तिका में दिए गए नियमों एवं शर्तों को सावधानी से पढ़ें।
- आवंटन फ्रीहोल्ड और यथास्थिति आधार पर होगा। आवंटी के नाम कन्वेयेंस डीड बनने के बाद ही टाइटल का हस्तांतरण होगा।
- एक व्यक्ति केवल एक आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के नाम आय कर अधिनियम के तहत जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) और एक बैंक खाता होना चाहिए।
- पंजीकरण और फ्लैट के मूल्य का भुगतान केवल आवेदक के खाते से तैयार बैंकर चेक / डिमांड ड्राफ्ट से किया जाएगा।
- कृपया ध्यान रखें कि सफल आवेदक के नाम मांग-सह-आवंटन पत्र आयुक्त, आय कर, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दिया जाएगा।
- आवंटन कराने का वादा करते बेईमान लोगों / प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे या प्रभाव में न आएं।
- लोगों से आग्रह है कि केवल डीडीए या अधिकृत बैंक शाखाओं से ही स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लें।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन के समय आवेदकों की योग्यता की जांच संभव नहीं है। इसलिए योग्यता के बिना आवेदन करने वाले अपने नामांकन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और स्कीम के तहत योग्य नहीं पाए जाने पर अगले चरण में फ्लैट आबंटन के दृष्टिकोण से उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- किसी तथ्य को गलत ढंग से व्यक्त करने या छिपाने पर या आबंटन के खाते से भुगतान नहीं किए जाने या आवेदक के नाम कोई प्रॉपर्टी होने की स्थिति में आबंटन को रद्द कर दिया जाएगा - राशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदक पर कानूनी कार्यवही भी की जा सकती है।

आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले कागजात

(क) सभी श्रेणियों के लिए

- आयकर विभाग से जारी पैन (स्थायी खाता संख्या) की स्व-सत्यापित कॉपी।
- आवासीय प्रमाण जैसे पासपोर्ट या पहचान पत्र या मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन या बिजली बिल या पानी बिल या मकान कर की रसीद या बैंक के पासबुक (नाम एवं पता वाला पृष्ठ) या सीजीएचएस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
- आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक के पासबुक / खाते के विवरण की स्व-सत्यापित प्रति।

(ख) आरक्षित श्रेणी के लिए

- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को जमा करना आवश्यक है :
- यदि आवेदक एससी / एसटी श्रेणी का हो तो संबंधित क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी का हो तो मेडिकल बोर्ड या किसी सरकारी अस्पताल से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - यदि आवेदक पूर्व सैन्यकर्मी हो तो रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से प्राप्त डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति।
 - यदि आवेदक युद्ध के परिणामस्वरूप विधवा हो तो रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से प्राप्त 'उचित प्रमाण पत्र' की सत्यापित प्रति।
 - आवेदक के नाम आरक्षित श्रेणी में आबंटन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा यदि वह आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं जमा करता है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.12.2010 है। स्कीम बंद होने के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तीन स्वतंत्र निर्णायक और मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में आवंटन के लिए कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।

नोट : 20.11.2010 को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में दी गई सूचना और आगे पैरा 8 को इस प्रकार पढ़ें :

- किसी तथ्य को गलत ढंग से व्यक्त करने या छिपाने पर या आबंटन के खाते से भुगतान नहीं किए जाने या आवेदक के नाम कोई प्रॉपर्टी होने की स्थिति में आबंटन को रद्द कर दिया जाएगा - राशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदक पर कानूनी कार्यवही भी की जा सकती है।
- ब्रोशर के पृष्ठ 6 पर गलत छपे अंग्रेजी शब्दों 'at/ats' को 'flat/flats' पढ़ें और 'nalized' को 'finalized' पढ़ें। और अंग्रेजी शब्द "competition" को "completion" पढ़ा जाए। कवर के पिछले पृष्ठ पर निर्देश 8 में उल्लिखित अंग्रेजी शब्द "above" को "below" पढ़ा जाए। एनेक्सर सी में अंग्रेजी शब्द "Affidavit" को "Affidavit" पढ़ा जाए और "af xed" को "affixed" पढ़ा जाए और एनेक्सर एफ में "af xed" को "affixed" पढ़ा जाए।

दर्शाया गया नक्शा एवं लोकेशन संकेतक मात्र है, वास्तविक नहीं

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

निदेशक (आवास) - II, विकास सदन, नई दिल्ली-110023, दूरभाष 011-24690723

डीडीए वेबसाइट देखें : www.dda.org.in